// सोशल आडिट निदेशालय
ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः564 / सो.आ.नि.–349 / 2017
दिनाँकः18 दिसम्बर, 2017

<u>जिला विकास अधिकारियों की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 का कार्यवृत्त।</u>

वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 में सोशल आडिट कार्य हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल आडिट टीमों के सदस्यों का पैनल तैयार करने तथा जनपद स्तर पर ब्लाक रिसोर्स परसन्स का पैनल तैयार किए जाने के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने एवं उनके प्रशिक्षणोंपरान्त ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट की प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिए जाने के उद्देश्य से दिनांक 15–12–2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सोशल आडिट निदेशालय, लखनऊ के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है। बैठक को श्री राजवर्धन, निदेशक, सोशल आडिट, श्री उदयराज यादव, संयुक्त आयुक्त, श्री उमेश मणि त्रिपाठी, उपायुक्त, सोशल आडिट, डॉ0 ओ0पी0 पाण्डेय, संयुक्त निदेशक, एस0आई0आर0डी0 तथा डॉ0 राज किशोर, प्रसार–प्रशिक्षण अधिकारी, एस0आई0आर0डी0 ने सम्बोधित किया।

निदेशक, सोशल आडिट ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए सर्वप्रथम सोशल आडिट टीम के सदस्यों एवं ब्लाक रिसोर्स परसन्स के पैनल तैयार करने विषयक निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति एवं निर्देश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 के बारे में बताया। बैठक में निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि सोशल आडिट टीम के सदस्यों एवं ब्लाक रिसोर्स परसन्स के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष योजित 12 रिट याचिकाओं के बन्च पर सुनवाई करते हुए डबल बेन्च द्वारा 40 पन्नों का विस्तृत आदेश पारित करते हुए उक्त रिट याचिकाएं खारिज कर दी गयी हैं, जिसके बिन्दु सं0–66 पर निम्नवत् वर्णित है :–

"Writ Petitions lack merit. Dismissed accordingly."

अतः अब अविलम्ब सोशल आडिट प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है।

तदोपरान्त, बैठक में निम्नांकित एजेण्डा बिन्दुओं पर सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त निर्देश निर्गत किए गए :–

1– सोशल आडिट टीमों के गठन के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि निम्नांकित जनपदों में सोशल आडिट टीमों के पैनल तैयार कर लिए गए हैं :–

जनपद–आगरा, अम्बेडकरनगर, अमरोहा, औरैया, बागपत, बाराबंकी, बस्ती, चित्रकूट, एटा, इटावा, हाथरस, मुरादाबाद, रायबरेली, फर्रूखाबाद, हरदोई, शामली तथा सोनभद्र।

उक्त के अतिरिक्त गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर तथा कासगंज को छोड़कर शेष जनपदों के जिला विकास अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जनपदों में पर्याप्त संख्या में आवेदन–पत्र प्राप्त न होने के कारण निर्धारित संख्या में सोशल आडिट टीमों के पैनल गठित नहीं हो सका हैं। साथ ही कतिपय जनपदों के जिला विकास अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि सोशल आडिट टीमों के सदस्यों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में सोशल आडिट टीमों के पैनल का रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सका है। बैठक में यह निर्णय हुआ कि चूँकि सोशल आडिट टीमों द्वारा योजित रिट याचिकाएं खारिज कर दी गयी हैं, अतः सोशल आडिट टीमों के पैनल गठन का रिजल्ट नियमानुसार प्रकाशित करते हुए सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाये।

जिन जनपदों में पर्याप्त संख्या में सोशल आडिट के पैनल गठित नहीं हो सके हैं उन जनपदों के जिला विकास अधिकारियों ने अनुरोध किया कि सोशल आडिट टीम के सदस्यों हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि बढ़ाते हुए पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु निर्देश जारी कर दिए जायें ताकि आवेदन–पत्र प्राप्त कर वांछित संख्या में टीमों का गठन किया जा सके। बैठक के दौरान टीमों के सदस्यों हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि बढ़ाते हुए पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु निर्णय लिया गया।

2– उपरोक्तानुसार, ब्लाक रिसोर्स परसन्स का पैनल तैयार करने के सम्बन्ध में निम्नांकित जनपदों के जिला विकास अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जनपद में वांछित संख्या में ब्लाक रिसोर्स परसन्स का पैनल तैयार कर लिया गया है :–

जनपद–अम्बेडकरनगर, बहराइच, बांदा, एटा, फर्रूखाबाद, हरदोई, खीरी, रायबरेली, संतकबीरनगर, शाहजहॉपुर, शामली, श्रावस्ती तथा उन्नाव।

उक्त के अतिरिक्त गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर तथा कासगंज को छोड़कर शेष जनपदों के जिला विकास अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जनपदों में पर्याप्त संख्या में आवेदन–पत्र प्राप्त न होने के कारण निर्धारित संख्या में ब्लाक रिसोर्स परसन्स के पैनल गठित नहीं हो सका हैं। वांछित संख्या से कम आवेदन पत्र प्राप्त होने का मुख्य कारण जन समस्याओं से संबंधित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी रखने वाले अभ्यर्थी की उपलब्धता न होना है। इस सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारियों ने अनुरोध किया कि बी0आर0पी0 का पैनल तैयार करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त करने की तिथि बढ़ाते हुए पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित करा दी जाये ताकि आवेदन–पत्र प्राप्त कर वांछित संख्या में बी0आर0पी0 के पैनल गठित किए जा

सकें। बैठक के दौरान बी0आर0पी0 के पैनल गठन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि बढ़ाते हुए पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का निर्णय लिया गया।

3— बैठक में यह निर्णय हुआ कि जिन जनपदों में जितनी संख्या में सोशल आडिट टीमों का गठन तथा बी0आर0पी0 के पैनल गठित हो गये हैं उतनी संख्या के अनुसार सोशल आडिट कैलेण्डर तैयार दिनांक 26—12—2017 से एस0आई0आर0डी0 के माध्यम प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि तद्नुसार निर्धारित सोशल आडिट तिथियों के अनुरूप सोशल आडिट प्रारम्भ कराया जा सके।

जिला विकास अधिकारियों द्वारा समीक्षा के दौरान यह अपेक्षा की गयी कि चूँकि ब्लाक रिसोर्स परसन्स को प्रतिमाह कोई नियत व्यावसायिक शुल्क नहीं दिया जाना है अपितु उन्हें कार्य के आधार पर प्रति सोशल अडिट की दर से व्यावसायिक शुल्क दिया जाना है, अतः उनके द्वारा 05 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु उन्हें आने—जाने का किराया दिया जाना चाहिए तथा प्रशिक्षण दिवसों के लिए उन्हें प्रतिदिन का प्रासंगिक व्यय भी दिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि यह व्यक्ति प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करें। अतः सोशल आडिट के सुचारू रूप से संचालन एवं अधिकाधिक ग्राम पंचायतों को सोशल आडिट कराने के लिए निदेशालय द्वारा ब्लाक रिसोर्स परसन्स को प्रशिक्षण हेतु आने—जाने का मार्ग व्यय एवं प्रवास की अवधि में प्रासंगिक व्यय भी दिया जाये।

4— सोशल आडिट हेतु अभिलेखों को डाउनलोड करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सोशल आडिट कैलेण्डर की तिथियों के अनुसार सोशल आडिट कराने हेतु निर्धारित तिथि पूर्व अभिलेखों को डाउनलोड करा लिया जाये ताकि सोशल आडिट में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो।

5— बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि पंचायतीराज विभाग के 1200 ग्रामों की सूची सोशल आडिट कराने हेतु शासन के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रगति पर है। वांछित कार्यवाही पूर्ण होने के फलस्वरूप पंचायतीराज विभाग की सोशल आडिट करने का अवसर सोशल आडिट निदेशालय को प्राप्त हो रहा है, जिसका सोशल आडिट भी आपके माध्यम से सम्पन्न हो सकेगा।

6— बैठक के दौरान महात्मा गांधी नरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पाई गई कमियों तथा उनके निस्तारण की स्थिति पर यह स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार द्वारा अधिनियम में यह व्यवस्था दी गयी है कि गम्भीर अनियमितता एवं धनराशि वसूली के मामले में यदि आवश्यक हो तो सिविल के साथ—साथ आपराधिक मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जा सकता है। अतः गम्भीर अनियमितता एवं धनराशि वसूली के मामले में सख्त कदम उठाते हुए धनराशि वसूली की कार्यवाही की जाये तथा कृत कार्यवाही से इस निदेशालय को सूचित किये जाने का निर्णय हुआ।

7— जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों के व्यवसायिक शुल्क के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि समस्त कोआर्डिनेटरों का समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

8— सोशल आडिट के सारांश के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि सोशल आडिट सारांश पर भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का अनुश्रवण किया जाता है। समय से सारांश का प्रेषण न होने से अपर आयुक्त (मनरेगा) तथा महालेखाकार को सारांश प्रेषण में काफी विलम्ब हो रहा है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निदेशालय को सारांश समय से प्रेषित करें।

9— समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपदों द्वारा जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों के व्यावसायिक शुल्क के भुगतान की सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जिसके कारण जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों के ई0पी0एफ0 खाते में धनराशि समय से जमा नहीं हो पा रही है। निर्देशित किया गया कि जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों को भुगतान किए गए व्यवसायिक शुल्क की सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस निदेशालय को अवश्य प्रेषित कर दें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी की होगी।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक

प्रतिलिपि :—
निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग—7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2— महानिदेशक, एस0आई0आर0डी0, लखनऊ।
3— आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6— समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(राजवर्धन)
निदेशक